संख्या-222/2025/1268/002-23-6099(099)/176/2025

प्रेषक,

रवि शंकर मिश्र,
संयुक्त सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उ0प्र0 लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-6 **लखनऊ: दिनांक** 29-05-2025

विषयः वित्तीय वर्ष 2025-26 में धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों के कतिपय जनपदों के 09 चालू कार्यों पर धनावंटन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियन्ता (मु०-1), लो०नि०वि०, लखनऊ के पत्र(तालिका के स्तम्भ-2 में उल्लिखित) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण/सुदृढीकरण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था योजना के अधोलिखित तालिका में अंकित 09 चालू कार्य पर वित्तीय वर्ष 2025-26 में कुल रू0 12827.94 लाख (रूपये एक अरब अटठाईस करोड़ सत्ताईस लाख चौरानबे हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित विवरण/शर्तों सहित अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता (मु0-1) के पत्रांक	खण्ड/ जनपद का नाम	कार्य	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	स्वीकृत/ प्राविधिक/बचत/ बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	क्षेत्र से मांग	प्रस्तावित आवंटन
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	13985/CE-HQ1/DHARMARTH/LKO/2025-26 Dt- 20-05-2025	प्रा.ख. लखनऊ	धर्मार्थ कार्य योजनान्तर्गत जनपद लखनऊ में इटौंजा शिवपुरी होते हुए कठवारा मॉ चन्द्रिका देवी धाम मार्ग (अ0जि0मा0) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	150/2025/910/001-23-6099(099)/15/2025 दिनांक-29.03.2025	2388.90 2388.90 432.59 1956.31	240.45	1715.86	1618.04	1128.97
2	13986/CE-HQ1/DHARMARTH/KNP/2025-26 Dt- 20-05-2025	नि.ख. फर्रूखाबाद	कम्पिल से कायमगंज तक कि0मी0 13 से 22(500) के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	129/2025/863/001-23-6099-099-7-2025 दिनांक 23-.03.2025	1894.23 1894.23 250.94 1643.29	172.22	1471.07	150.00	150.00
3	14002/CE-HQ1/DHARMARTH/VNS/2025-26 Dt- 20-05-2025	नि.ख.-1 गाजीपुर	जनपद गाजीपुर में रेवतीपुर गहमर रोड वाया मॉ कमाख्या टू करहिया टी0बी0 रोड (ग्रामीण मार्ग) के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025 दिनांक-30.03.2025	147.16 147.16 2.06 145.10	1.800	143.3	90.00	90.00
4	14008/CE-HQ1/DHARMARTH/BAR/2025-26 Dt- 20-05-2025	नि.ख.-1 पीलीभीत	धर्मार्थ योजना के अन्त्रतगत प्राचीन देवस्थल एवं सरोवर लिलहर में चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	92/2025/679/001-23-6099-099-59-2025, दि-07.03.2025	470.44 376.35 142.91 233.44	3.35	230.09	200.00	160.06

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

5	14013/CE-HQ1/DHARMARTH/BAS/2025-26 Dt- 20-05-2025	प्रा.ख. बस्ती	जनपद बस्ती में प्रभु श्रीराम के पुत्रेष्टि यज्ञ स्थल मखौडा धाम बेरता, करिबहना से चौरी नन्द नगर होते हुए नेवादा गोण्डा बार्डर तक मार्ग का चौडीकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य।	156/2025/917/001-23-6099-93-2025 दिनांक-30.03.2025	745.40 745.40 12.02 733.38	8.750	724.63	350.00	350.00
6	14036/CE-HQ1/DHARMARTH/MRT/2025-26 Dt- 20-05-2025	नि.ख.-2 गाजियाबाद	जनपद-गाजियाबाद में रावली सुराना मार्ग पर मुख्य द्वारा से मंदिर प्रागण तक मार्ग का चै0 एवं सु0 का कार्य।	158/2025/919/001-23-6099(099)/93/25 दिनांक-31.03.2025	360.80 360.80 32.72 328.08	2.00	326.08	150.00	150.00
7	14093/CE-HQ1/DHARMARTH/KNP/2025-26 Dt- 21-05-2025	नि.ख.-2 कानपुर नगर	जनपद कानपुर नगर में मंधना बिठूर मार्ग के किमी0 1 से 8(800) तक मार्ग के चौडीकरण एवं सुदृढीकरण के कार्य तथा मी0 स्पॉन की आर0सी0सी0 सेतु एवं पंहुच मार्ग का निर्माण मार्ग।	187/2025/947/001-23-6099(099)/91/2025, दि0 31-03-2025	13763.73 13763.73 297.79 13465.94	50.00	13415.94	10000.000	9376.15
8	14109/CE-HQ1/DHARMARTH/BAS/2025-26 Dt- 22-05-2025	प्रा.ख. बस्ती	परसा परसरामपुर से श्रृगीनारी, बैजलपुर, धुनियाभीटी, बिछनैया, जगन्नाथपुर कडसरा बिलारीभौटी, नरायपुर से मडरिया स्वामी नारायण छपिया स्थल तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	78/2025/655/001-23-6099-099-13-2025/दिनांक- 06-03-2025	1765.96 1765.96 24.07 1741.89	32.98	1708.91	800.00	800.00
9	14111/CE-HQ1/DHARMARTH/PRJ/2025-26 Dt- 22-05-2025	नि.ख.-2 फतेहपुर	शिवराजपुर बिन्दकी ललौली मार्ग (एम0डी0आर0-15) के चैड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण का कार्य।	99/2025/666/001-23-6099-099-42-2025,दि-10.03.2025 /दिनांक- 10-03-2025	1351.83 1293.07 280.67 1012.4	85.92	926.48	847.01	622.76
								कुल योग	**12827.94**

(रूपये एक अरब अटठाईस करोड़ सत्ताईस लाख चौरानबे हजार मात्र)

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

(1) प्रश्नगत चालू कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का व्यय/उपयोग वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तों के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्त पुस्तिका के नियमों, स्थाई आदेशों आदि का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्य हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में नहीं किया जायेगा।

(2) प्रश्नगत कार्यो हेतु आवंटित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र/कार्यो के संपरिक्षित लेखा निर्धारित समयावधि में कार्यालय महालेखाकार, उ०प्र० प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध करा दिया जाय।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपरोक्त परियोजना के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल एवं पुनरीक्षित शासनादेशों के समस्त शर्तों एवं प्रतिबन्धों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) लोक निर्माण विभाग में सी०सी०एल० प्रणाली समाप्त किये जाने के फलस्वरूप वर्क्स से संबंधित बजट के आनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ० कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 तथा कार्यो के

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

व्यय को सी०सी०एल० प्रणाली से मुक्त रखते हुए सामान्य कोषागार प्रणाली से आच्छादित किये जाने के संबंध में वित्त (लेखा) अनुभाग-2 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2022/ए-2-76/दस-2022-10(9)/95, दिनांक 13.04.2022 में निहित व्यवस्था/शर्तो का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(5) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय किये जाने से पूर्व वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक 27-मार्च, 2025 में निहित शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करते हुये किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 1,28,27,94,000 (रुपये एक अरब अट्ठाईस करोड़ सत्ताईस लाख चौरानबे हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043371200 धर्मार्थ मार्गों के चौड़ीकरण / सुदृढ़ीकरण, नवनिर्माण एवं विकास हेतु एकमुश्त व्यवस्था (चालू कार्य) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनाँक- 27-मार्च, 2025 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक तदैव।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उ०प्र० शासन ।

2- निजी सचिव, मा० राज्यमंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उ०प्र० शासन ।

3- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

4- महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0 प्रयागराज ।

5- सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी ।

6- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

7- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

8- सम्बन्धित मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

9- सम्बन्धित वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।

10- सम्बन्धित अधिशासी अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।

11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनु०-4/वित्त (आय-व्ययक) अनु०-1, उ०प्र० शासन।

12- राज्य योजना आयोग-1/2, उ0प्र0 शासन।

13- अधीक्षण अभियन्ता, नियोजन/परियोजना, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

14- लोक निर्माण अनुभाग-10/11, उ०प्र० शासन।

15- नोडल अधिकारी (आनलाईन बजट एलॉटमेन्ट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ०प्र०शासन।

16- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
रवि शंकर मिश्र
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।